बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / 02–राज्य यो0–भू0अ0नि0(आरोप)किशनगंज–43 / 2022 5606 **पटना, दिनांक** 10/07/2023

आदेश

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 101–।। दिनांक 28.03.2023 द्वारा श्री सूरज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03773) के विरूद्ध ये प्रतिवेदित किया गया है कि ये दिनांक 28.06.2022 से अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इस अनुपस्थिति के विरूद्ध शिविर प्रभारी द्वारा उन्हें यह सूचित किया गया है कि इनसे प्रथम एवं द्वितीय कारण पृच्छा की गयी है, फिर भी अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं। समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 4219 दिनांक 11.05.2023 द्वारा आरोपित से 03 (तीन) दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। आरोपित का स्पष्टीकरण प्राप्त है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि इन्होंने अपना त्याग पत्र 16.07.2022 को ही दे दिया है। साथ ही इनका अनुरोध है कि या तो इनका त्याग पत्र स्वीकृत किया जाय अथवा नजदीक जिले में स्थानान्तरण कर दिया जाय। इनके द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के संदर्भ में कोई तथ्य अथवा कोई सूचना नहीं दिया गया है। जहाँ तक इनके त्याग पत्र का उल्लेख है, तो वह बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्राप्त कराये जाने का प्रावधान है। समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र के संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी गयी है।

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रतिवेदित आरोप एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि आरोपित द्वारा अपने अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया गया है, जिसपर विचार किया जा सके बल्कि नई–नई बात कही जा रही है। इनका कृत्य अनुशासनहीनता, मनमानापन एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना सरकार की बाध्यता है। इनके अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से सरकार की महत्वपूर्ण समयबद्ध कार्यक्रम बाधित हुआ है। ऐसे संविदा कर्मी को आगे भी सेवा में बनाए रखने से इसका प्रभाव अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर भी पड़ सकता है। अतः इनका संविदा नियोजन बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)"** के आलोक में श्री सूरज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03773) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–राज्य यो0–भू0अ0नि0(आरोप)किशनगंज–43 / 2022 5606 **पटना, दिनांक** :– 10/03/2023

प्रतिलिपि :– श्री सूरज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03773), बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–राज्य यो0–भू0अ0नि0(आरोप)किशनगंज–43 / 2022 5606 **पटना, दिनांक** :– 10/03/2023

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–राज्य यो0–भू0अ0नि0(आरोप)किशनगंज–43 / 2022 5606 **पटना, दिनांक** :– 10/03/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्री कुमार की निजी संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप